CIPET सिपेट
probe • perform • practice • Plastics

केंन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
सिपेट

मुख्यालय, गिंडी, चेन्नई

प्रबंधन नीति पत्रक

सिपेट मुख्यालय का पीडीआई प्रकोष्ठ निरीक्षण निकाय के रूप में जाना जाता है तथा इसके कार्मिकों पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है, वह उस वस्तु का अभिकल्पनकर्ता, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, स्थापनकर्ता, क्रेता, मालिक, उपयोगकर्ता या अनुरक्षक नहीं होगा, जिसका पीडीआई प्रकोष्ठ निरीक्षण करता है तथा न ही वह इनमें से किसी भी पक्ष के प्रतिनिधि को अधिकृत करता है।

सिपेट पीडीआई प्रकोष्ठ ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो इसके निरीक्षण के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा को प्रभावित करे। विशेष रूप से, पीडीआई प्रकोष्ठ निरीक्षण की गई वस्तु या इस तरह की अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के अभिकल्पन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, उपयोग या अनुरक्षण में सीधे शामिल नहीं होगा।

यद्यपि, यह ध्यान देने योग्य है कि सिपेट नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी चलाता है, जिसके तहत केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कुछ प्लास्टिक उत्पादों/घटकों का विकास एवं अभिकल्पन किया जा सकता हैन कि किसी व्यावसायिक उपयोग के लिए साथ ही, अनुसंधान एवं विकास विभाग/प्रकोष्ठजिन उत्पादों का अभिकल्पन और निर्माण उद्योगों के लिए करता हैं, उन्हें निरीक्षण के दायरे में नहीं लाया जाएगा।

दिनांक: १८ जुलाई २०२२

प्रो. (डॉ.) शिशिर सिन्हा
महानिदेशक